न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 59 / 2024 (GCMS NO-2024/217)

सतीश पुत्र किशनलाल जाति मेघवाल निवासी महरादास तहसील मलसीसर।

—आवेदक

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
2. शुभकरण पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
3. सुवटी पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
5. भागीरथ पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
6. सुगनाराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
7. चन्दगी पुत्र श्योलाराम जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर।
8. बुद्धराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर।
9. रामप्रसाद पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर।
10. लिलाधर पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर।
11. मखनलाल पुत्र बल्लूराम जाति मेघवाल निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
12. सुधीर पुत्र किशनलाल जाति मेघवाल निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
13. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक।
14. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लूट्टु तहसील बिसाऊ जरिये शाखा प्रबधंक।
15. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलसीसर शाखा।
16. सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनूं।

— अनावेदकगण

वकील आवेदक — श्री संदीप सिंह राठौड़
वकील अनावेदकगण —

प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी 111, 128 भू—राजस्व अधि0 1956

निर्णय

दिनांक 04.06.2025

संक्षेप में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम महरादास पटवारी हल्का हरिपुरा में भूमि हाल ख0न0 316 / 283, 317 / 283, 319 / 308, 291 / 271, 321 / 318 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9555 है0 भूमि आवेदक तथा अनावेदक संख्या 12 की खातेदारी काश्तकारी भूमि है। जिसपर काबिज काश्त है। आवेदक व अनावेदक संख्या 12 की भूमि के सीमा के पास पड़ोस में अनावेदक संख्या 1 ल0 13 की भूमि ख0न0 177, 286 / 187, 290 / 270, 294 / 271, 193, 194, 196, 285 / 187, 289 / 270, 293 / 271, 124, 182, 189, 190, 192, 284 / 187, 188 / 270, 292 / 271, 187, 187 / 270, 187 / 271 स्थित है। उक्त भूमि की सीमा को

41

लेकर आये दिन आवेदक व अनावेदक संख्या 12 के साथ अनावेदक 1 ल0 6 का विवाद होता रहता है जिससे मौके पर शांति भंग होने का अंदेशा रहता है। पड़ौसी खातेदार आये दिन आवेदक की खातेदारी काश्तकारी भूमि में दखलअंदाजी पैदा करते है। इसलिए आवेदक उक्त भूमि को आवांरा पशुओं से फसल बचाने एवं अन्य भूमि सुधार कार्य हेतु तारबंदी करवाना चाहता है। उक्त वर्णित भूमि का पूर्व में तहसीलदार के आदेश क्रमांक 591 दिनांक 25.06.2024 की पालना में करवाया जा चुका है। भविष्य में कभी विवाद ना हो इसलिए पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाया गया है। उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी करवाने के अधिकारी है। जिस कारण यह वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ल0 15 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदक संख्या 1 ल0 15 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी की भूमि की नपती दिनांक 25.06.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पूर्व में की गई नपती अनुसार पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम महरादास पटवार हल्का हरिपुरा स्थित भूमि ख0न0 316/283 रकबा 0.2000 है0, ख0न0 317/283 रकबा 0.2000 है0, ख0न0 319/308 रकबा 0.1100 है0, ख0न0 291/271 रकबा 0.0500 है0 तथा ख0न0 321/318 रकबा 0.0855 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9555 है0 भूमि का प्रार्थी के आवेदन पर पूर्व में किये गये सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2024 अनुसार पत्थरगड्डी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर